न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 3/2020 (डूंगरपुर डिक्री)

विनोदचन्द्र पण्ड्या मुतवना स्वर्गीय पूर्णाशंकर पण्ड्या, निवासी टामटिया, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. परेश कुमार पिता हरीशचन्द्र पण्ड्या, निवासी टामटिया, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. रितेश कुमार पिता हरीशचन्द्र पण्ड्या, निवासी टामटिया, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. श्रीमती धारण देवी पिता हरीशचन्द्र पण्ड्या, निवासी टामटिया, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. श्रीमती जयाबाई बेवा हरीशचन्द्र पण्ड्या, निवासी टामटिया, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
5. भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा
दिनांक 06.01.2020 प्र.सं. 212/2009

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री सुनील आचार्य अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री भारत भूषण पण्डया अभिभाषक रे.सं. 1 से 4
3– राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5

———::———

निर्णय **दिनांक 28–12–2023**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के मूलपुरूष [illegible] व जटाशंकर हुए। हिम्मतराम के दो पुत्र देव[illegible] पुत्र नानुराम हुआ जिसकी पत्नी राधा[illegible] संख्या 2022 [illegible] खाता संख्या 192 में कुल खेत 39 रकबा 2[illegible] बीघा 12 बिस्वा थे। राधा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:17:22 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

के कोई वारिस नहीं होने थी तथा देवशंकर व उसकी पत्नी जानीबाई के भी कोई संतान नहीं होने से हरीशचन्द्र को गोद रखा एवं उसी प्रकार पूर्णाशंकर व उसकी पत्नी उमिया बाई ने वादी विनोद को गोद रखा, जो रजिस्टर्ड होकर वादी गोद पुत्र की हैसियत से पूर्णाशंकर व उमिया बाई के यहां रह रहा है। हरीशचन्द्र के दो पुत्र एक पुत्री व उसकी पत्नी है। राधा बाई की जमीन संवत् 2022 में जो उसके खाते दर्ज थी, वह वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है, जिसके खाता संख्या 322 होकर कुल खेत 29 रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा है। राधा बाई की मृत्यु पश्चात् उसकी भूमि हिम्मतराम के दोनों पुत्र के नाम दर्ज होनी चाहिए थी, किन्तु अकेले बड़े पुत्र देवशंकर के नाम दर्ज हो गयी, जबकि कब्जा दोनों भाईयों का था और आज दिन तक चला आ रहा है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजियात का विभाजन किया जाकर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज अंकन कराया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 6 तनकियात कायम तथा उभयपक्षों की बहस सुनकर तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 06-01-2020 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 02-03-2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री भारत भूषण पण्ड्या उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि देवशंकर [illegible] कर्मचारियों से मिलकर फर्जी नामान्तरकरण अके[illegible] जबकि अपीलान्ट के पिता का नाम भी दर्ज [illegible] कोई भी बक्शीस देवशंकर के पक्ष में नहीं की गयी। तनकी सं[illegible] 1 व 2 अधिनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:17:22 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

ने केवल नामान्तरकरण संख्या 68 के आधार पर निर्णित की है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय को मिलस संख्या 73 दिनांक 17–09–1964 के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था। नामान्तकरण की प्रकिया एक फिजिकल प्रोसीडिंग है, जिसके आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी अपास्त की जावे तथा अपीलान्ट का वाद डिकी किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि राधा बाई की मृत्यु पर मिसल संख्या 73 दिनांक 17–09–1964 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा देवशंकर को वारिस घोषित किया गया, जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण खोला गया तब से रेस्पोन्डेन्टगण काबिज चले आ रहे हैं, जिसे 52 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। यह स्वीकृत स्थिति है कि विवादित आराजियात मूलपुरूष माधव जी के खाते की होकर उनके दो पुत्र हिम्मतराम व जटाशंकर हुए। हिम्मतराम के दो पुत्र देवशंकर व पूर्णाशंकर हुए तथा जटाशंकर का पुत्र नानूराम होकर उसके बेवा राधी बाई हुई, जो लाऔलाद फोत हुए। भू–प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी संवत् 2022 प्रदर्श में विवादित कुल खेत 29 रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा भूमि मु0 राधी बेवा नानूराम के नाम दर्ज है तथा यह भी स्वीकृत स्थित है कि राधी बाई लाऔलाद फोत हुई, जिससे राधी बाई के खाते की भूमि देवशंकर व पूर्णाशंकर में बराबर–बराबर हक हिस्से से निहित होनी चाहिए थी, किन्तु राधीबाई के लाऔलाद फोत होने पर नामान्तरकरण संख्या 68 अकेले देवशंकर के नाम स्वीकृत हुआ, जबकि वादी/अपीलान्ट के गोद पिता पूर्णाशंकर का भी उक्त आराजियात में 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। प्रदर्श 1–ए रजिस्टर्ड [illegible] /अपीलान्ट विनोद को पूर्णाशंकर की पत्नी उमियाबाई ने गोद [illegible] संख्या 4 श्रीमती जयाबाई ने अपने [illegible] भूमि मौरूसी होने से राधी बाई के [illegible] 1/2 हिस्सा पूर्णाशंकर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:17:22 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

नाम दर्ज होना चाहिए था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण संख्या 68 देवशंकर के नाम स्वीकृत होने एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा देवशंकर के पक्ष में निर्णय पारित किये जाने के आधार पर वादी/अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया है, जो हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन की रोशनी में प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–01–2020 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेतिषत की जाती है कि प्रकरण में पुनः पक्षकारान की साक्ष्य लेकर एवं सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 11–03–2024 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 28–12–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:17:22 IST
Reason: SelfAttested